न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का भकरी

बहक श्री सुमेरसिंह
पुत्र श्री दशरथसिंह
जाति राजपूत नि. भकरीमौलास

मुकदमा नं. 04 / 2017

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 03/08/2017

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम शील भकरी खसरा नम्बर 145 रकबा 0.0546 हैक्टर किस्म बा.2 सिवायचक (राजकीय भूमि) पर संवत 2074 में श्री सुमेरसिंह पुत्र श्री दशरथसिंह जाति राजपूत निवासी भकरीमौलास (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा संवत 2074 में फसल खरीफ में बाड़कर कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का भकरी अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी उपस्थित। कोई लिखित जबाब पेश नहीं किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम शील भकरी ख.न. 145 रकबा 0.0546 किस्म बा.2 सिवायचक पर संवत 2074 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर बाड़कर कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 5/- प्रति है. का 50 गुणा रूपया 1.36 रु. पूर्णांक 1.00 रु. (रूपये एक रुपये) शास्ति कायम की जाती है।

निर्णय की क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का भकरी भु. अभिलेख निरीक्षक बागोट एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/08/2017 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास
जिला-नागौर (राज.)
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)